पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2004 का आपराधिक अपील (खण्ड पीठ) सं.263

==========

राम प्रवेश महतो पिता बालेश्वर महतो निवासी- मोहल्ला-माखा चक, थाना-बखारी, जिला-बेगुसराय

... ...अपीलार्थी/ओं

बनाम

बिहार राज्य

... ... उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2004 का आपराधिक अपील (खण्ड पीठ) सं0. 381

==========

पप्पू साह पिता राम लखन साह मोहल्ला गंगराहो, थाना-बखारी, जिला बेगूसराय

...अपीलार्थी/ओं

बनाम

बिहार राज्य

... ... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थितिः

(2004 का आपराधिक अपील (खण्ड पीठ) संख्या 263)

अपीलार्थी/ओं की ओर से	:	श्री अंसुल, अधिवक्ता, श्रीमती सागरिका, अधिवक्ता श्री शिव कुमार प्रभाकर, अधिवक्ता श्री गौतम, अधिवक्ता श्री आदित्य पांडे, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री सुजीत कुमार सिंह, अ.लो.अ

सूचना देने वाले के लिए : श्री अमरेंद्र कुमार सिंघा, अधिवक्ता
श्री बिजेंद्र कुमार सिंह, अधिवक्ता

(2004 की आपराधिक अपील (खण्ड पीठ) संख्या 381)

अपीलार्थी/ओं की ओर से : श्री अंसुल, अधिवक्ता
श्रीमती सागरिका, अधिवक्ता
श्री शिव कुमार प्रभाकर, अधिवक्ता
श्री गौतम, अधिवक्ता
श्री आदित्य पांडे, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री सुजीत कुमार सिंह, अ.लो.अ.

सूचना देने वाले के लिए : श्री अमरेंद्र कुमार सिंह, अधिवक्ता
श्री बिजेंद्र कुमार सिंह, अधिवक्ता

==========

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973---धारा 374(2)---भारतीय दंड संहिता---धारा 364, 302, 201, 34---भारतीय साक्ष्य अधिनियम---धारा 106---परिस्थितिजन्य साक्ष्य---पूर्व से विद्यमान विवाद के कारण मृतक के अपहरण और हत्या के अभियोग पर निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध अपील---अपीलार्थी की ओर से तर्क कि अभियोजन पक्ष के अधिकांश गवाह मुकर गए हैं और अभियोजन पक्ष दो गवाहों द्वारा दिए गए बयान पर आधारित है लेकिन उक्त गवाहों के बयान में बड़े विरोधाभास हैं---आगे तर्क कि मृतक की हत्या की घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और, इसलिए अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करके अपीलकर्ता-आरोपी के खिलाफ उचित संदेह से परे मामला साबित करने में विफल रहा है।

निष्कर्ष:- यदि अपहरण की घटना को उचित संदेह से परे साबित नहीं किया जाता है, तो अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत लागू नहीं होगा---मृतका का शव कथित अपहरण की तारीख से 2-3 दिन बाद बरामद किया गया था और इसलिए, यह मानते हुए भी कि अपीलकर्ताओं ने रामपरी देवी का अपहरण किया है, तब भी कथित अपहरण और शव की बरामदगी के बीच तीन दिनों का समय अंतराल है---परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, अभियोजन पक्ष को कड़ियों और परिस्थितियों की श्रृंखला में निरंतरता स्थापित करने की आवश्यकता होती है, ताकि अभियुक्त के हमलावर होने के एकमात्र और अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके, जो अभियुक्त की निर्दोषता के साथ संगत किसी अन्य परिकल्पना की

संभावना के साथ असंगत या असंगत है---मात्र अंतिम बार साथ देखे जाने के सिद्धांत का आह्वान, मामले में तथ्यों और साक्ष्य के बिना, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत अभियुक्त पर जिम्मेदारी डालने के लिए पर्याप्त नहीं होगा जब तक कि अभियोजन पक्ष पहले प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं करता है---वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की श्रृंखला को साबित करने में विफल रहा और, इसलिए, ट्रायल कोर्ट ने दोषसिद्धि और सजा का फैसला सुनाते समय गलती की है - विवादित फैसला और दोषसिद्धि का आदेश रद्द किया जाता है - अपील स्वीकार की जाती है। ***(पैरा- 3, 4, 15, 18, 19)***

(2019) 13 एससीसी 289, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 32, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1132 ***.....पर भरोसा किया गया।***

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री रुद्र प्रकाश मिश्रा

मौखिक निर्णय

(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

तारीखः13-12-2023

1. ये दोनों अपीलें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे आगे 'संहिता' कहा जाएगा) की धारा 374(2) के अंतर्गत दिनांक 17.03.2004 को दोषसिद्धि के सामान्य निर्णय तथा दिनांक 19.03.2004 को सजा के आदेश के विरुद्ध दायर की गई हैं, जो सत्र परीक्षण संख्या 124/2002 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बेगूसराय द्वारा पारित किया गया था, जो बखरी थाना कांड संख्या 82/2001 से उत्पन्न हुआ था, जिसके तहत न्यायालय ने दोनों अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 364, 302, 201 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया था तथा उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा 2000/-

रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 201/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सात साल के कारावास और 2000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है और दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना अदा न करने पर दोनों दोषियों को प्रत्येक मामले में दो-दो महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।

2. वर्तमान मामले का तथ्यात्मक सार इस प्रकार है:-

2.1 दिनांक 26.10.2001 को रूबी देवी का *फर्दबयान* दर्ज हुआ, जिसमें सूचक ने कहा है कि दिनांक 25.10.2001 को सुनीता देवी, मीना देवी, उषा देवी, सुशीला देवी, पिंकी कुमारी एवं रामपरी देवी, मृतका (सूचक रूबी देवी की मां) बखरी बाजार में दुर्गा पूजा देखने गई थी। लौटते समय रात्रि लगभग 11:00 बजे जब वे बखरी बस स्टैंड के पास पहुंचे तो अभियुक्त रामप्रवेश महतो, पप्पू साह एवं दो अज्ञात व्यक्तियों ने रामपरी देवी (सूचक की मां) का अपहरण कर लिया। विरोध करने पर अभियुक्तों ने उन्हें बंदूक दिखाकर धमकाया, जिससे कोई शोर नहीं मचा सका। यह घटना सूचक को उसकी भतीजी पिंकी कुमारी ने बताई, जो घटना के समय सूचक के घर दौड़कर आई थी। सूचना मिलते ही सूचक घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक मृतक को उक्त चारों आरोपी कहीं ले जा चुके थे। सूचक ने आरोप लगाया कि घटना का कारण यह है कि करीब दो माह पूर्व सूचक के साले मुरलीधर महतो की हत्या आरोपी रामप्रवेश महतो, उसके भाई प्रमोद महतो ने अन्य के साथ मिलकर कर दी थी। उस मामले में सूचक रामपुकार महतो था। सूचक की मां को इस बहाने से अगवा किया गया कि उसका पति पिछले मामले में समझौता कर लेगा। सूचक को यह भी आशंका है कि अगर उसके पिता द्वारा समझौता नहीं किया गया तो उसकी मां की हत्या भी हो सकती है।

2.2 उपरोक्त *फर्दबयान* के आधार पर औपचारिक एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच एजेंसी ने जांच शुरू की। जांच के दौरान, अपहृत व्यक्ति, रामपरी देवी का शव

बरामद हुआ और इसलिए, जांच एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 को जोड़ा। जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने गवाहों के बयान दर्ज किए, दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र किए और उसके बाद दोनों अपीलकर्ताओं और एक अन्य आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

2.3 यह मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए विद्वान मजिस्ट्रेट ने इसे संबंधित सत्र न्यायालय को सौंप दिया, जहां इसे सत्र परीक्षण संख्या 124/2002 के रूप में पंजीकृत किया गया।

2.4 मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों की जांच की जबकि बचाव पक्ष ने एक गवाह की जांच की। ट्रायल कोर्ट के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश किए गए। इसके बाद आरोपी का धारा 313 के तहत आगे का बयान दर्ज किया गया। मुकदमे के समापन के बाद ट्रायल कोर्ट ने आरोपी रामफल तांती को बरी कर दिया जबकि इन दोनों अपीलकर्ताओं को उपरोक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है।

2.5 विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश के खिलाफ अपीलकर्ताओं ने दो अलग-अलग अपीलें दायर की हैं।

3. दोनों अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री अंसुल, दोनों अपीलों में राज्य के विद्वान अ.लो.अ. श्री सुजीत कुमार सिंह तथा सूचक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अमरेन्द्र कुमार सिंहा को सुना गया।

4. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील मुख्य रूप से यह तर्क देंगे कि अभियोजन पक्ष के अधिकांश गवाह अपने बयान से पलट गए हैं और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है, इसलिए अभियोजन पक्ष का मामला दो गवाहों द्वारा दिए गए बयान पर आधारित है, जिन्होंने अदालत के समक्ष कहा है कि अभियुक्तों ने मुखबिर की मां रामपरी देवी का अपहरण किया था। हालांकि, उक्त गवाहों के

बयान में बड़े विरोधाभास हैं। यह भी कहा गया है कि स्वतंत्र गवाह ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और अन्य स्वतंत्र गवाहों से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई है, हालांकि सूचनाकर्ता की मां के अपहरण की तथाकथित घटना के समय कई लोग एकत्र हुए थे। इसके बाद विद्वान वकील ने तर्क दिया कि मृतक की हत्या की घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है, यानी सूचनाकर्ता की मां और इसलिए अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करके अपीलकर्ता-आरोपी के खिलाफ उचित संदेह से परे मामला साबित करने में विफल रहा है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 अभियोजन पक्ष द्वारा सबूत का बोझ उतारने के बाद लागू होगी और उसके बाद साबित करने का बोझ अभियुक्त पर डाला जा सकता है। हालांकि, अभियोजन पक्ष वर्तमान अपीलकर्ताओं के खिलाफ सबूत के प्रारंभिक भार को पूरा करने में विफल रहा है और इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधान भी आकर्षित नहीं होंगे। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे कहा कि यह स्वीकार किए बिना भी कि अपीलकर्ताओं को अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया था, तब भी अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा है कि केवल वर्तमान अपीलकर्ताओं ने ही मृतक की हत्या की है। यह बताया गया है कि मृतक का शव तीन दिन बाद मिला था। इसके बाद यह तर्क दिया गया कि मकसद के संबंध में भी गवाहों ने अलग-अलग कहानियां पेश की हैं और इसलिए, जब अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं की ओर से कथित अपराध करने के मकसद को साबित करने में विफल रहा है, तो ट्रायल कोर्ट ने दोषसिद्धि का फैसला सुनाते समय और सजा सुनाते समय गंभीर गलती की है।

5. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है:

(i) शंभू नाथ मेहरा बनाम अजमेर राज्य, 1956 एससीसी ऑनलाइन एससी 27 में रिपोर्ट किया गया

(ii) निजाम बनाम राजस्थान राज्य, (2016) 1 एससीसी 550 में रिपोर्ट किया गया

(iii) कर्नाटक राज्य बनाम चांद बाशा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या 1547/2011 में पारित किया गया

(iv) रीना हजारिका बनाम असम राज्य, (2019) 13 एससीसी 289 में रिपोर्ट किया गया

(v) नंदू सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1454 में रिपोर्ट किया गया

(vi) चंद्रपाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या 378/2015 में पारित किया गया

(vii) जाबिर और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 32 में रिपोर्ट किया गया

(viii) आर. श्रीनिवास बनाम कर्नाटक राज्य, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1132 में रिपोर्ट किया गया

6. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अ.लो.अ. और सूचनाकर्ता के विद्वान वकील ने इन दोनों अपीलों का पुरजोर विरोध किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि मृतक की बेटी द्वारा तुरंत एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें उसने घटना का विस्तार से वर्णन किया है। यह भी कहा गया है कि दो गवाहों, जिनकी उपस्थिति में मुखबिर की मां का अपहरण किया गया था, ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है और इसलिए,

भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ताओं और एक अन्य आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके बाद अपहृत व्यक्ति का शव तीन दिन बाद मिला और इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ धारा 201 जोड़ी गई। यह प्रस्तुत किया गया है कि जब अभियोजन पक्ष के दो गवाहों ने उचित संदेह से परे अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है, तो ट्रायल कोर्ट द्वारा विवादित निर्णय और दोषसिद्धि का आदेश पारित करते समय कोई त्रुटि नहीं की गई है। यह भी कहा गया है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ताओं की ओर से कथित अपराध करने के उद्देश्य को भी साबित कर दिया है। चिकित्सा साक्ष्य से भी अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया है कि मृतक की मौत हत्या थी। यह भी कहा गया है कि अपीलकर्ता-आरोपी साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत भार का निर्वहन करने में विफल रहे हैं। इस प्रकार, यह आग्रह किया जाता है कि यह न्यायालय विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए दोषसिद्धि के विवादित निर्णय और सजा के आदेश में हस्तक्षेप न करे।

7. हमने पक्षों की ओर से पेश हुए विद्वान वकीलों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है, हमने रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री, अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष द्वारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का भी अवलोकन किया है। रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से यह पता चलता है कि अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों की जांच की है जबकि बचाव पक्ष ने एक गवाह की जांच की है। जहां तक पी.डब्लू 1, 3, 4, 5 और 7 का संबंध है, उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और इसलिए उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि पी.डब्लू 1, बालेश्वर महतो और पी.डब्लू 7, गेनू साह स्वतंत्र गवाह हैं, जबकि पी.डब्लू 3, 4 और 5 मृतक के निकट संबंधी हैं और रामपरी देवी के कथित अपहरण की घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। जहां तक पी.डब्लू.2, रामसागर साह का सवाल है, उक्त गवाह जांच रिपोर्ट का गवाह है। हालांकि, उसने कहा कि उसने उक्त

रिपोर्ट पर अपना अंगूठा लगाया था, लेकिन जिरह के दौरान उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उक्त अंगूठे का निशान सादे कागज पर दिया गया था। इसी तरह, पी.डब्लू.11, मनटुन महतो भी जांच रिपोर्ट का गवाह है। उक्त गवाह ने मुख्य परीक्षा में कहा है कि उसने जांच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि, जिरह के पैरा-4 में उक्त गवाह ने विशेष रूप से स्वीकार किया कि उक्त हस्ताक्षर उस समय लिए गए थे जब वह पेट्रोल पंप पर था और उसने खाली कागज पर हस्ताक्षर किए हैं। पी.डब्लू.12, कृष्ण कुमार मिश्रा जब्ती-सह-जब्ती सूची का गवाह है। उक्त गवाह ने जिरह में यह भी स्वीकार किया कि उसने खाली कागज पर हस्ताक्षर किए थे और जब्ती सूची उसकी मौजूदगी में तैयार नहीं की गई थी। इसी प्रकार, पी.डब्लू.13, राम लखन पासवान भी तलाशी और जब्ती सूची का गवाह है। उक्त गवाह ने भी जिरह के दौरान कहा कि तलाशी उसकी मौजूदगी में नहीं ली गई थी।

8. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष का मामला पी.डब्लू. 6, सुशीला देवी द्वारा दिए गए बयान पर आधारित है, जिसने दावा किया है कि वह अपहरण की घटना की चश्मदीद गवाह है। इसी तरह, पी.डब्लू. 8, जनकमणि देवी को भी अपहरण की घटना की चश्मदीद गवाह के रूप में पेश किया गया है। बेशक पी.डब्लू. 10, रूबी देवी, जो मुखबिर है, अपहरण की घटना की चश्मदीद गवाह नहीं है।

9. पी.डब्लू. 6, सुशीला देवी ने अपने बयान में कहा है कि जब वह दुर्गा पूजा में शामिल होकर लौट रही थी और बखरी बस स्टॉप के पास पहुंची तो आरोपी पप्पू साह, रामप्रवेश महतो और रामफल तांती ने रामपरी देवी को पकड़ लिया और पैदल पश्चिम दिशा की ओर ले गए। उसके 2-3 दिन बाद रामपरी देवी की लाश बरामद हुई। उस समय उसके साथ उषा देवी, सुनीता देवी, पिंकी कुमारी, रूबी देवी भी मौजूद थीं। उसने आरोपियों की पहचान की है। उसने आगे कहा है कि मुरलीधर महतो की हत्या हुई थी जिसमें उसके पिता ने आरोपियों का नाम बताया था जिसके कारण आरोपी उन्हें धमकी दे रहे थे।

9.1 जिरह के दौरान उक्त गवाह ने बताया कि अभियुक्तों के साथ शुरू से ही कोई भूमि विवाद नहीं था। बखरी बस स्टॉप बाजार में स्थित है। बालेश्वर महतो, बाबर अली, महेंद्र, रतन यादव, पप्पू साह की दुकानें बाजार में स्थित हैं। वे दुर्गा पूजा का किराया देखने गए थे। बस स्टैंड के पास काफी लोग थे। मेला के कारण काफी भीड़ थी। बखरी थाना उक्त स्थान के नजदीक है। वे लगभग 09:00 बजे रात्रि में मेला देखने गए थे। उस समय उनके साथ परिवार की महिला सदस्य भी थीं। आगे बताया गया है कि रामपरी देवी उनकी मां हैं। आरोपी की उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने जिरह के दौरान स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि आरोपी उनकी मां को ट्रैक्टर पर ले गए थे। उस समय दो *चौकीदार* और 20-25 महिलाएं भी मौजूद थीं। जनकमणि भी वहीं थीं। वे उक्त ट्रैक्टर में बैठकर भाग गए। दो *चौकीदारों* में से एक उसके गांव का था। उन्होंने *शोर* मचाया, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। इसके बाद थाने में सूचना दी गई। उसने आगे कहा कि जब उसने पुलिस के सामने बयान दिया था, तब उसने रामफल तांती का नाम भी बताया था।

10. पी.डब्लू. 8, जनकमणि देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि रामपरी देवी उनकी पुत्री थी। *दशहरा* मेला का समय था। रात्रि लगभग 11:00 बजे वे मेला देखने गए थे। उस समय उनके साथ सुशीला, सुनीता, मीना और पिंकी भी थीं। रामप्रवेश बस स्टैंड के पास आया और रामपरी को जबरन उक्त स्थान से ले गया। उसने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तों की पहचान की है। उसने आगे कहा है कि जमीन को लेकर विवाद था।

10.1 जिरह के दौरान उसने बताया कि बखरी बस स्टैंड के पास कई दुकानें हैं और बस स्टैंड के पास ही पुलिस स्टेशन भी है। बस स्टैंड पर काफी भीड़ थी। आरोपी रामपरी को पैदल ले गए। उस समय रूबी भी मौजूद थी। वे पुलिस स्टेशन गए। उस समय रूबी भी मौजूद थी। रूबी ने *फर्दबयान दरोगा जी* को दिया था। घटना के समय

उन्होंने *हो-हल्ला* मचाया। लोग भी जमा हो गए। उन्होंने रोकने की कोशिश की थी। पुलिस ने उसका बयान दर्ज कर लिया है। उसने आगे कहा है कि किराए के समय *चौकीदार* और पुलिस भी मौजूद थी। उसने आगे कहा है कि उसने पुलिस को यह नहीं बताया है कि पिंकी ने हमें घटना के बारे में बताया था कि रामप्रवेश ने रामपरी का अपहरण कर लिया है।

11. पी.डब्लू.9, रामपुकार महतो घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। उक्त गवाह रामपरी देवी का पति है। उसे अपनी पत्नी के अपहरण की सूचना तब मिली जब वह अपने घर में मौजूद था। उक्त गवाह ने यह भी कहा कि उसके दामाद की हत्या हुई थी, जिसमें उक्त गवाह मुखबिर था और इसलिए रामप्रवेश धमकी दे रहा था। उक्त गवाह ने न्यायालय में अभियुक्त की पहचान की।

11.1 जिरह के दौरान, पी.डब्लू. 9 ने विशेष रूप से कहा कि वह अपहरण की घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है और उसे यह जानकारी गीता देवी नामक एक महिला से मिली जो उसकी बहन है।

12. पी.डब्लू.10, रूबी देवी वह सूचक है जिसने पुलिस को सूचना दी थी। रामपरी देवी उसकी मां थी। उसने बताया है कि उषा देवी, पिंकी कुमारी, मीना देवी, सुनीता देवी और सुशीला देवी घूमने के बाद घर आईं और बताया कि रामप्रवेश महतो ने उसकी मां रामपरी देवी का अपहरण कर लिया है। इसके बाद उसने पुलिस को *फर्दबयान* दिया था।

12.1 जिरह के दौरान उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अपहरण की घटना की प्रत्यक्षदर्शी नहीं है।

13. मृतिका के शव का पोस्टमार्टम पी.डब्लू.14 डॉ. अखिलेश कुमार ने किया था। उक्त साक्षी ने अपने बयान में निम्न प्रकार कहा है:-

"शव की पहचान कांस्टेबल 589 हरि नाथ सिंह द्वारा की गई, उसके शरीर पर निम्नलिखित पूर्व-मृत्यु चोटें पाई गईं-

(i) चेहरा, आंखें बंद, जीभ मुंह से बाहर नहीं आ रही थी

(ii) गर्दन के सामने 2" x 1/2" का चोट का निशान, लैरींगल कार्टिलेज ट्रेकिया के नीचे फ्रैक्चर के साथ, खूनी झाग था।

(iii) जांच में फेफड़े बंद पाए गए।

2. पोस्टमॉर्टम चोटें

(i) पेट को जिफिस्टर्नम से प्यूबिक इम्फैसिस तक चीरा गया था, जिसमें त्वचा, संतति ऊतक, रेक्टस प्लेटोनियम और छोटी, बड़ी आंत, यकृत और मूत्राशय को काटा गया था।

3. सभी वसेरा ***...अस्पष्ट...*** *थे, हत्या के साथ।*

4. कई जगहों पर त्वचा के उखड़ने के साथ दुर्गंधयुक्त दुर्गंध पाई गई। ऐसा लग रहा था कि शव को पानी के नीचे से निकाला गया था।

5. राय - गर्दन के सामने के हिस्से में चोट लगने के कारण सुफ़ाइसिया के कारण मृत्यु हुई।

मृत्यु के बाद से 48 से 72 घंटे का समय बीता।

अंगों और फेफड़ों में कठोरता नहीं थी।

सड़न शुरू हो गई थी।

खाज में भीड़ पाई गई।

6. हृदय- बायाँ कक्ष खाली, दायाँ कक्ष में 10 मिली रक्त था।

मुँह के पास लार में कीचड़ मिला हुआ था।

पेट फट गया.

13.1 जिरह के दौरान उक्त गवाह ने कहा कि यह डूबने का मामला नहीं था। मौत गला घोंटने के कारण हुई थी।

14. पी.डब्लू.15, प्रमोद कुमार झा ने पी.डब्लू.10 द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर की जांच की थी। उक्त गवाह ने एफआईआर की जांच की है जो शुरू में अपहरण के लिए दर्ज की गई थी और जांच के दौरान, उन्होंने गवाहों के बयान दर्ज किए थे और उसके बाद मृतक का शव पानी से बरामद किया गया था। दो गवाहों की मौजूदगी में जांच रिपोर्ट तैयार की गई और उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

14.1 जिरह के दौरान, उक्त गवाह ने स्वीकार किया कि सुशीला देवी ने रामफल तांती का नाम आरोपी के रूप में नहीं दिया था। उसने आगे कहा कि उसने केस डायरी में यह दर्ज नहीं किया कि उसे कब सूचना मिली और वह कब घटनास्थल पर पहुंचा। उक्त गवाह ने आगे कहा कि *चौकीदार* का बयान भी केस डायरी में दर्ज नहीं किया गया था। उसने विशेष रूप से स्वीकार किया कि जनकमणि देवी ने बताया कि उसे घटना की जानकारी पिंकी कुमारी से मिली थी।

15. अभियोजन पक्ष के गवाहों के उपरोक्त बयान से पता चलता है कि सुशीला देवी को अपहरण की घटना की प्रत्यक्षदर्शी के रूप में पेश किया गया है, लेकिन उनके बयान में काफी विरोधाभास है। एक जगह उन्होंने कहा है कि आरोपी आए और रामपरी देवी को पैदल ले गए, जबकि जिरह के दौरान उन्होंने कहा है कि उन्हें ट्रैक्टर पर ले जाया गया जिसमें दो *चौकीदार* और 20-25 महिलाएं मौजूद थीं। इसी तरह, जनकमणि देवी को भी प्रत्यक्षदर्शी के रूप में पेश किया गया है, हालांकि, उनके बयान में बड़ा विरोधाभास है। जांच अधिकारी पी.डब्लू. 15 के बयान से पता चलता है कि जनकमणि देवी ने पुलिस के

सामने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें पिंकी से अपहरण की घटना के बारे में जानकारी मिली थी, हालांकि, अदालत के सामने बयान देते समय, उन्होंने कहा है कि वह घटना स्थल पर मौजूद थीं जब रामपरी देवी का अपहरण किया गया था। यह भी पता चला है कि रूबी देवी घटना की गवाह नहीं है और उसे सुनीता देवी, मीना देवी, उषा देवी और पिंकी से जानकारी मिली थी। यह ध्यान देने योग्य है कि सुनीता देवी, पिंकी देवी और उषा देवी ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और इसलिए उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने मीना देवी की जांच नहीं की है। इसके अलावा सुशीला देवी ने अपने बयान में कहा कि रूबी घटनास्थल पर पहले से मौजूद थी, हालांकि, अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, रूबी देवी को पिंकी से जानकारी मिली थी। इस प्रकार, यदि अपहरण की घटना उचित संदेह से परे साबित नहीं होती है, तो आखिरी बार एक साथ देखे जाने का सिद्धांत आकर्षित नहीं होगा।

16. यह ध्यान देने योग्य है कि मृतक का शव कथित अपहरण की तारीख से 2-3 दिन बाद बरामद किया गया था और इसलिए, यह मानते हुए भी कि अपीलकर्ताओं ने रामपरी देवी का अपहरण किया है, तब भी कथित अपहरण और शव की बरामदगी के बीच तीन दिनों का समय अंतराल है।

17. **रीना हजारिका** (उपर्युक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ-9 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:

> "9. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आवश्यक तत्व पूर्व उदाहरणों द्वारा अच्छी तरह से स्थापित हैं और हम इसे दोहराना और आदेश को अनावश्यक रूप से बोझिल बनाना आवश्यक नहीं समझते। यह देखना पर्याप्त है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में अभियोजन पक्ष को परिस्थितियों की श्रृंखला की कड़ियों में निरंतरता स्थापित करने की आवश्यकता होती है, ताकि अभियुक्त के हमलावर होने के एकमात्र और अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके, जो अभियुक्त की निर्दोषता के साथ संगत किसी अन्य परिकल्पना की संभावना के साथ असंगत या असंगत हो। किसी मामले में तथ्यों और

साक्ष्यों के बिना केवल अंतिम-देखे गए सिद्धांत का आह्वान, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के तहत अभियुक्त पर जिम्मेदारी डालने के लिए पर्याप्त नहीं होगा जब तक कि अभियोजन पक्ष पहले प्रथम दृष्टया मामला स्थापित न कर ले। यदि परिस्थितियों की श्रृंखला में कड़ियाँ स्वयं पूर्ण नहीं हैं, और अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में असमर्थ है। मामले में, इस संभावना को खुला छोड़ते हुए कि घटना किसी अन्य तरीके से हुई हो, जिम्मेदारी आरोपी पर नहीं आएगी, और संदेह का लाभ देना होगा।

17.1 **आर. श्रीनिवास** (उपर्युक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 15, 16 और 17 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:

"15. इसलिए, अभियुक्त पर बोझ तभी पड़ेगा, जब अंतिम बार देखा गया सिद्धांत स्थापित हो जाएगा। इस मामले में, पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह अपने आप में संदेह में है। यह इस न्यायालय के बाद के निर्णयों से पता चलता है, जिसका हम उल्लेख करेंगे:

(क) *कन्हैया लाल बनाम राजस्थान राज्य,* (2014) 4 एससीसी 715, जहां यह नोट किया गया:

'***12.*** *आखिरी बार साथ देखे जाने की परिस्थिति अपने आप में और जरूरी तौर पर इस निष्कर्ष पर नहीं ले जाती कि आरोपी ने ही अपराध किया है। आरोपी और अपराध के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कुछ और भी होना चाहिए। हमारी सुविचारित राय में, अपीलकर्ता की ओर से केवल स्पष्टीकरण न देने से ही अपीलकर्ता के खिलाफ अपराध का सबूत नहीं मिल सकता। '*

(जोर दिया गया)

(ख) *निजाम बनाम राजस्थान* राज्य, (2016) 1 एससीसी 550, काशी राम (उपर्युक्त) को नोटिस करने के बाद पैराग्राफ 16-18 में प्रासंगिक चर्चा निहित है:

16. *उपरोक्त के आलोक में, यह देखा जाना चाहिए कि क्या इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, निचली अदालतें "अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत" को*

लागू करने में सही थीं। उपरोक्त साक्ष्य से, मृतक मनोज कथित रूप से 23-1-2001 को ट्रक डीएल 1 जीए 5943 में चला गया था। मृतक मनोज का शव 26-1-2001 को बरामद किया गया था। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया है कि अभियुक्तों को अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया था, लेकिन अभियुक्तों ने मनोज के साथ क्या हुआ है, इस बारे में कोई उचित, ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया है। ध्यान रहे कि केवल तभी जब अभियोजन पक्ष इस तथ्य को पुख्ता सबूतों के साथ साबित करने में सफल हो जाता है कि मृतक को अंतिम बार अभियुक्तों के साथ जीवित देखा गया था, अभियुक्तों के खिलाफ उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है और उसके बाद ही साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत अभियुक्तों पर आरोप लगाया जा सकता है।

17. *धारा 313 सीआरपीसी के तहत पूछताछ के दौरान, अपीलकर्ता-आरोपी ने मनोज द्वारा उनके ट्रक नंबर डीएल 1 जीए 5943 में यात्रा करने से इनकार किया। जैसा कि पहले देखा गया, मनोज का शव तीन दिन बाद 26-1-2001 को बरामद किया गया था। जिस समय मनोज के ट्रक नंबर डीएल 1 जीए 5943 में जाने का आरोप है और शव की बरामदगी के बीच का समय इतना कम नहीं है कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई निष्कर्ष निकाला जा सके। इस मोड़ पर, साक्ष्य से उभरने वाले एक और पहलू पर ध्यान देने की जरूरत है। शहजाद खान (पीडब्लू 4) द्वारा दिए गए बयान से पता चला कि मृतक का आंतरिक अंग (लिंग) रस्सी से बंधा हुआ था और उसके नथुने से खून बह रहा था। मनिया गांव, जिस स्थान पर मनोज का शव बरामद किया गया, कथित तौर पर वेश्यावृत्ति के लिए एक उल्लेखनीय स्थान है, जहां विभिन्न क्षेत्रों से लोग आनंद लेने के लिए आते हैं।*

18. *मनोज को ट्रक में छोड़े जाने और शव की बरामदगी के बीच समय अंतराल और जिस स्थान और परिस्थितियों में शव बरामद किया गया, उसे देखते हुए, अन्य लोगों के हस्तक्षेप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बात के पक्के सबूतों के अभाव में कि अपीलकर्ता और मृतक को आखिरी बार एक साथ देखा गया था और जब समय अंतराल लंबा हो, तो यह निष्कर्ष निकालना खतरनाक होगा कि अपीलकर्ता मनोज की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं और मनोज की हत्या करने के दोषी*

हैं। जहां समय अंतराल लंबा है, वहां "अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत" पर दोषसिद्धि को आधार बनाना असुरक्षित होगा; अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य परिस्थितियों और साक्ष्यों से पुष्टि की तलाश करना सुरक्षित है। तथ्यों और साक्ष्यों से, हमें अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत की पुष्टि करने वाला कोई अन्य पुष्ट करने वाला साक्ष्य नहीं मिला।

(जोर दिया गया)

16. निज़ाम (उपर्युक्त) में दी गई चेतावनी महत्वपूर्ण है। 'अंतिम बार देखा गया' सिद्धांत तभी लागू किया जा सकता है जब यह उचित संदेह से परे साबित हो। छोटकौ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2023) 6 एससीसी 742 में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित राय दी:

'15. यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अभियोजन पक्ष को साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए, उन्हें पहले यह स्थापित करना होगा कि अपीलकर्ता के ज्ञान में कोई तथ्य था। ...'

(जोर दिया गया)

17. वर्तमान मामले में, यह देखते हुए कि अंतिम बार देखे जाने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं है और यह भी तथ्य है कि कथित अंतिम बार देखे जाने और शव की बरामदगी के बीच एक लंबा समय अंतराल है, और अन्य पुष्टिकारी साक्ष्यों के अभाव में, यह नहीं कहा जा सकता है कि परिस्थितियों की श्रृंखला इतनी पूर्ण है कि एकमात्र निष्कर्ष जो निकाला जा सकता है वह अपीलकर्ता का अपराध है। *लक्ष्मण प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2023) 6 एससीसी 399 में, हमने शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एससीसी 116 और शैलेंद्र राजदेव पासवान बनाम गुजरात राज्य,* (2020) 14 एससीसी 750 पर विचार करने के बाद माना था कि '*... परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, श्रृंखला सभी तरह से पूर्ण होनी चाहिए ताकि अभियुक्त के अपराध को इंगित किया जा सके और अपराध के किसी अन्य सिद्धांत को भी बाहर रखा जा सके। '* ऐसे साक्ष्यों के आधार पर अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बनाए रखना असुरक्षित होगा, जहां श्रृंखला स्पष्ट रूप से अधूरी है। इसके अलावा, निर्दोषता की

धारणा अभियुक्त के पक्ष में है और जब संदेह उत्पन्न होता है, तो लाभ अभियुक्त को मिलता है, अभियोजन पक्ष को नहीं। *सुरेश थिप्पा शेट्टी बनाम महाराष्ट्र राज्य,* 2023 आईएनएससी 7494 का संदर्भ दिया जा सकता है।

17.2 **जाबिर एवं अन्य** (उपर्युक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ-25 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:

"25. आपराधिक न्यायशास्त्र का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में अभियोजन पक्ष प्रत्येक परिस्थिति को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए बाध्य है, साथ ही सभी परिस्थितियों के बीच संबंधों को भी साबित करना है; ऐसी परिस्थितियों को संचयी रूप से लिया जाए तो एक ऐसी पूरी श्रृंखला बननी चाहिए कि इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर, अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया था और किसी और ने नहीं; इसके अलावा, साबित किए गए तथ्यों को अभियुक्त के अपराध की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहिए। दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होना चाहिए और अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ होना चाहिए, और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होना चाहिए बल्कि उसकी निर्दोषता के साथ भी असंगत होना चाहिए। ये *सारद बिरदीचंद सारदा* (उपर्युक्त) में कहा गया था, जहाँ न्यायालय ने हनुमंत से उद्धृत करने के बाद कहा था कि:

"153. इस निर्णय का गहन विश्लेषण यह दर्शाएगा कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध मामला पूर्णतः स्थापित होने से पूर्व निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:

(1) जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।

यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियाँ 'अवश्य या होनी चाहिए' और 'हो सकती हैं' नहीं। 'साबित किया जा सकता है' और "साबित किया जाना चाहिए या होना चाहिए" के बीच न केवल

व्याकरणिक बल्कि कानूनी अंतर भी है, जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य (1973) 2 एससीसी 793 में माना था, जहाँ निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई थीं: [एससीसी पैरा 19, पृष्ठ 807: एससीसी (क्रि.) पृष्ठ 1047]

निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को दोषी होना चाहिए, न कि केवल दोषी हो सकता है, इससे पहले कि अदालत उसे दोषी ठहराए और 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच मानसिक दूरी बहुत लंबी है और अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करती है।

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात, उन्हें किसी अन्य परिकल्पना के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता, सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है,

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

(4) उन्हें हर संभव परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, सिवाय उस परिकल्पना के जिसे साबित किया जाना है, और

(5) साक्ष्यों की एक श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह दर्शाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा। ″

154. ये पाँच स्वर्णिम सिद्धांत, अगर हम ऐसा कहें तो, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले के सबूत के पंचशील का गठन करते हैं। ″

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय से यह कहा जा सकता है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में अभियोजन पक्ष को परिस्थितियों की कड़ियों और श्रृंखला में निरंतरता स्थापित करने की आवश्यकता होती है, ताकि अभियुक्त के हमलावर होने के एकमात्र और अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके, जो अभियुक्त की निर्दोषता के साथ संगत किसी अन्य परिकल्पना की संभावना के साथ असंगत या असंगत हो। किसी मामले में तथ्यों और साक्ष्यों के बिना केवल अंतिम-देखे गए सिद्धांत का

आह्वान, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत अभियुक्त पर जिम्मेदारी डालने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जब तक कि अभियोजन पक्ष पहले प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं करता है।

19. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यदि वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच की जाए, तो हमारा मानना है कि वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और इसलिए अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला को साबित करे। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की श्रृंखला को साबित करने में विफल रहा है और इसलिए, जब अभियोजन पक्ष मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, तो हमारा मानना है कि ट्रायल कोर्ट ने दोषसिद्धि और सजा का आदेश पारित करते समय गलती की है।

20. उपर्युक्त चर्चाओं के मद्देनजर, इन दोनों अपीलों को स्वीकार किया जाता है और सत्र परीक्षण संख्या 124/2002 (बखरी थाना मामला संख्या 82/2001 दिनांक 26.10.2001 से उत्पन्न) के संबंध में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बेगूसराय द्वारा पारित दिनांक 17.03.2004 के दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दिनांक 19.03.2004 के सजा के आदेश को रद्द किया जाता है और अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ता, अर्थात्, रामप्रवेश महतो और पप्पू साह को विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है।

20.1 चूंकि अपीलकर्ता अर्थात् पप्पू साह, आपराधिक अपील (खण्ड पीठ) संख्या 381/2004 में जमानत पर है। उसे जमानत बांड की देनदारियों से मुक्त किया जाता है। अपीलकर्ता अर्थात् रामप्रवेश महतो, आपराधिक अपील (खण्ड पीठ) संख्या 263/2004 में जेल में है, इसलिए उसे तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि किसी अन्य मामले में उसकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायाधीश)

(रुद्र प्रकाश मिश्रा, न्यायाधीश)

संजय/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।